भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 987
दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

बाल भिक्षुक

987. श्री टी॰आर॰वी॰एस॰ रमेशः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में बाल भिक्षुकों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास दिल्ली में भीख मांगने वाले बच्चों के संकट से निपटने की कोई योजना है; और
(ग) यदि हां, तो इस योजना के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार इस संबंध में ऐसा रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) का कार्यान्वयन कर रहा है और उक्त अधिनियम में एक अलग अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें उस व्यक्ति पर कठोर जुर्माना लगाया गया है, जो किसी बच्चे को भिक्षावृत्ति के उद्देश्य से नियोजित या प्रयोग करता है या किसी बच्चे से भीख मंगवाता है । देश के भीख मांगने वाले बच्चे देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीएनसीपी) की श्रेणी में आते हैं, जैसा जेजे एक्ट में कहा गया है । अधिनियम पर अमल करने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है । इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जेजे अधिनियम और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है ।

जेजे एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया गया कोई बच्चा पुलिस या चाइल्डलाइन या एनजीओ या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो बच्चे के बेहतर हित में उसकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है । यदि अपेक्षित हुआ तो ऐसे बच्चों को विभाग द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों में भी रखा जाता है, जहां उन्हें भोजन, आवास, शारीरिक और मानसिक देखभाल और अनौपचारिक शिक्षा की सभी मूलभूत जरूरतों की पूर्ति की जाती है और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के प्रयास किए जाते हैं । यह बच्चों की दशाओं को सुधारने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने की एक निरंतर प्रक्रिया है ।

*****